



राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान
समविश्वविद्यालय (विशिष्ट श्रेणी)
हटिया, राँची - 834 003 (झारखण्ड)
NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY
Deemed to be University (Distinct Category)
Hatia, Ranchi – 834 003 (Jharkhand)

स्थापित ESTD. 1966

सं. No. – NIAMT/ACAD/GEN/061/2020-21/303

दिनांक Date - 27/07/2024

कार्यालय आदेश क्रमांक 06 /OFFICE ORDER No. 06

छात्रों के लिए संस्थान अनुशासन समिति (आई. डी. सी. एस.) की बैठक के अनुसरण में, एन. आई. ए. एम. टी. के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि संस्थान के परिसर में (अंदर और बाहर) छात्रों की लगातार अनुशासनहीनता को बहुत गंभीरता से लिया गया है। एन. आई. ए. एम. टी. के सभी छात्रों को यह सूचित किया जाता है कि संस्थान परिसर के भीतर या बाहर किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पाए जाने वाले किसी भी छात्र के लिए संस्थान कोई भी छात्रवृत्ति अनुशंसा फॉर्म, चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन जारी नहीं करेगा। ऐसे छात्रों को आई. एल. सी. गतिविधियों/कैंपस प्लेसमेंट के लिए अनुमति और अनुशंसा नहीं की जाएगी।

In pursuance of the meeting of the Institute Disciplinary committee for students (IDCS), it is informed to all the students of NIAMT that the Institute has taken a very serious note of the incessant indiscipline of the students inside and outside of the campus. It is conveyed to all the students of NIAMT that the Institute shall not issue any scholarship recommendation form, character and antecedents verification of any student found directly or indirectly involved in any disciplinary action within or outside the Campus. Such students shall not be allowed and recommended for ILC activities/campus placement.

2. जे.सी. बोस छात्रावास में छात्रों के बीच जानबूझकर और गंभीर कदाचार के कारण हुए नवीनतम विवाद को ध्यान में रखते हुए, इस घटना में सीधे तौर पर शामिल होने के लिए निम्नलिखित तीन छात्रों की पहचान की गई है:

In view of the latest altercation of students at J.C Bose Chhatrabas causing deliberate and sever misconduct, following three students have been identified to be directly involved in the incident:

(क) श्री मुकुंद राय Mr. Mukund Rai, अनुक्रमांक Roll No. 321/22 (Dept. PIE)

(ख) श्री रिफत परवेज़ अहमद भट्ट Mr. Rifat Parvaiz Ahmad Bhat, अनुक्रमांक Roll no. 242/22 (Dept. MME)

(ग) श्री आयुष पांडे Mr. Ayush Pandey, Roll No. 115/23 (Dept. ME)

3. सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त तीन छात्रों को संस्थान के अनुशासनात्मक नियमों का उल्लंघन करने के लिए अगले आदेश तक तुरंत निवास स्थान खाली करने और केवल अपने माता-पिता के साथ ही शैक्षणिक अनुभाग में रिपोर्ट करने का निर्देश देता है।

The Competent authority hereby directs the above three students to immediately vacate the hall of residence until further orders for violating the disciplinary rules of the Institute and report to the Academics Section only with their parents.

स्मृति राज

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
Assistant Registrar (Academics)

To:

1. All students (Through Google Classroom)
2. Concerned students and their parents (through post)
2. Chief Hostel Warden/Concerned Warden of halls of residence

Copy to:

1. Director Office/Registrar Office
2. Dean (S.A.A)